

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक (शस्य), राजकीय कृषि
अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ़, जैसलमेर

क्रमांक :- स्टोर/उ.नि./2017-18/12

दिनांक : 08.06.2017

सीमित बिड (निविदा) सूचना संख्या 01
खरीफ 2017 के कृषि कार्य एवं विविध कार्य

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ़ (जैसलमेर) पर खरीफ 2017 के कृषि एवं विविध कार्यों की श्रम लागत हेतु ठेकेदारों से मोहरबन्द सीमित बिड (निविदा) आमन्त्रित की जाती है। सीमित बिड (निविदा) प्रपत्र इस कार्यालय से रुपये 200/- नगदी जमा करवा कर दिनांक 29.06.2017 को मध्याह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। मोहरबन्द बिड दिनांक 30.06.2017 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे तक इस कार्यालय में स्वीकार किये जावेंगे। प्राप्त बिड (निविदाएं) दिनांक 30.06.2017 को कार्यालय में मध्याह्न पश्चात 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हो) खोली जावेगी। बिड (निविदा) की प्रतिभूति राशि रुपये 3285/- साथ में जमा करवानी होगी। बिड (निविदा) लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम अवश्य लिखें। (यूबीएन नम्बर-ADB1718SSLB00001)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत राशि रुपये में
1.	खरीफ 2017 की विभिन्न फसलों की बुवाई से भण्डारण तक के सभी कृषि कार्य एवं अन्य विविध कार्यों को पूर्ण करना है।	जुलाई : 2017 से नवम्बर : 2017 तक	164243.00

बिड (निविदा) निर्धारित प्रपत्र में भरकर देनी होगी। डाक, तार द्वारा प्रेषित बिड (निविदा) एवं सशर्त बिड (निविदा) मान्य नहीं होगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता बिना कोई कारण बताये बिड (निविदा) को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्यों की शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उक्त निर्धारित तिथियों में प्राप्ति एवं खोलने की दिनांक को किसी भी कारण से राजकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवसों में निर्धारित निविदा कार्य संपादित किये जावेंगे।

(बशीधर मीणा)

उप निदेशक (शस्य)
राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र
मोहनगढ़ (जैसलमेर)

"जी शिडयूल"

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपनिदेशक (शस्य) राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ, जैसलमेर

बिड (निविदा) सूचना क्रमांक : दिनांक
 अनुमानित लागत

खरीफ 2017 बिड (निविदा) प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का नाम एवं विवरण	क्षेत्रफल हेक्टर में	बी.एस.आर. के अनुसार कुल राशि रूपये में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें
अ : परीक्षण कार्य / कृषि कार्य :				
1.	ग्वार फसल परीक्षण बुवाई से भण्डारण तक सभी कार्य	0.40	8602.80	
2.	मूंग फसल परीक्षण बुवाई से भण्डारण तक सभी कार्य	0.20	4542.60	
3.	मोठ फसल परीक्षण बुवाई से भण्डारण तक सभी कार्य	0.25	5678.25	
4.	मोठ फसल प्रदर्शन बुवाई से भण्डारण तक सभी कार्य	2.0	31356.0	
योग : (अ)			50179.65	

ब : विविध कार्य :

1.	फसल सुरक्षा दिन व रात में 1 जुलाई 2017 से 30 नवम्बर 2017 तक	153 दिन व रात (मानव दिवस)	61506.00	
2.	बाड़ मरम्मत (फार्म फेन्सिंग) का रख रखाव	2000 मीटर	16080.00	
3.	खाला सफाई	1800 मीटर	14472.00	
4.	ट्रैक्टर ड्राइवर (1 जून 2017 से 30 नवम्बर 2017 तक)	15 दिवस	3315.00	
5.	जीप ड्राइवर (1 जून 2017 से 30 नवम्बर 2017 तक)	30 दिवस	6630.00	
6.	डिग्गी सफाई	1 नग	12060.00	
योग : (ब)			114063	
योग (अ+ब)			164242.65	
कुल शुद्ध राशि			164243.00	

(अखरे रूपये एक लाख चौसठ हजार दो सौ तैयालीस रूपये मात्र)

हस्ताक्षर निविदा दाता

नाम :

पता :

बिड(निविदा) की विशेष शर्तें

1.	बिड (निविदा) कार्यालय से क्रिय किये गये निविदा प्रपत्र में ही भरी हुई मान्य होगी तथा यथोचित रूप से मोहरबंद लिफाफे में बंद करके प्रस्तुत करनी होगी ।
2.	एक लिफाफे में एक ही बिड (निविदा) प्रेषित करनी होगी । डाक/तार द्वारा प्रेषित निविदा देरी से प्राप्त निविदा कांट-छांट वाली निविदा तथा स्मर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
3.	पूर्ण प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकारक्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा । बिड (निविदा) को स्वीकृत करने का आधार न्यूनतम दर पर प्राप्त बिड (निविदा) होगी तथाक्य समिति न्यूनतम दरों को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं रहेगी ।
5.	निविदादाता को कृषि एवं विविध कार्यों हेतु बी.एस.आर. में उल्लेखितानुसार कार्य करवाने के लिये आक्यतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे तथा सभी कार्य कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में सम्पन्न कराने होंगे ।
6.	कार्य कम/अधिक अथवा बिलकुल नहीं कराने का अधिकार कार्यालयध्यक्ष का होगा तथा विवाद की स्थिति में उनका ही निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
7.	कार्य समय पर सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कराने होंगे, बीच में कार्य छोडने पर भुगतान नहीं किया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
8.	श्रमिकों को समय पर मजदुरी के भुगतान की जिम्मेदारी, कार्य के समय किसी श्रमिक द्वारा की गई राजकीय हानि तथा कभी कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ घटित दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । उसे श्रम प्रावधानों की पालना करनी होगी ।
9.	चौकिदारी कार्य हेतु निविदादाता को अलग से व्यक्ति रखने होंगे तथा व्यक्ति/व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा ।
10.	वाहन (जीप) चालक/ट्रैक्टर चालक के पास वैद्य अनुज्ञप्ति (वाहन चालक लाईसेन्स) का होना आक्यक है तथा आक्यकता पडने पर उसे कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
11.	कृषि कार्यों एवं विविध कार्यों हेतु ट्रैक्टर मय ईंधन तथा ट्रैक्टर चलित बडे यंत्र कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जावेगे इसके अतिरिक्त सभी छोटे कृषि यंत्र निविदादाता को स्वयं उपलब्ध कराने होंगे ।
12.	सफल निविदादाता एवं उसके श्रमिकों को इस केन्द्र पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी ।
13.	सफल निविदाकारों को निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करवाना पडेगा तथा निविदा की राशि का नियमानुसार प्रतिभूति राशि (धरोहर राशि) विभाग में जमा करानी होगी जिस पर विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । प्रतिभूति की राशि (धरोहर राशि) ठेका पूर्ण होने की स्थिति में दो माह पश्चात् लौटा दी जावेगी । अनुबन्ध के बारे में होने वाला कोई भी व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा । यदि निविदाकार प्रतिभूति राशि जमा कराने या अनुबन्ध निष्पादित करने में विफल रहता है तो पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । संविदा की शर्तों को न मानने अथवा संविदा को संतोषजनक ढंग से पूरा न करने पर भी प्रतिभूति राशि अंस्तः अथवा पूर्णतः जब्त की जा सकेगी जिस पर कार्यालयध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।
14.	निविदादाता के बिलों में स्रोत पर नियमानुसार आयकर कटौति की जावेगी ।
15.	श्रमिकों को भुगतान संबंधी किसी भी शिकायत के लिये ठेकेदार ही जिम्मेवार होगा । इस बारे में विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा । अलबत्ता आगामी भुगतान प्राप्त करने से पूर्व ठेकेदार को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडेगा की गत कार्यों पर लगाये गये सभी श्रमिकों को उनका वाजिब भुगतान कर दिया गया है ।
16.	उपरोक्त के अलावा ठेकेदार द्वारा रखी गई किसी भी शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा ।
17.	कार्यों एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
18.	निविदादाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 एवं 2013 के Annexure A, B, C & D आदि की पालना आवश्यक है ।
	मैने कार्य का विवरण तथा कार्य करवाने की समस्त शर्तें देख/समझ ली है तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार है ।

हस्ताक्षर निविदादाता/बोलीदाता

नाम :-

पता :-